बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0 :- 346249 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04-01-2018

ग्रा0वि0-14(नि0को0)वैशाली-42/2017

श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹30,000.00 (तीस हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक- 04.09.2017, धारा- 7/8/13(2)-सह-पठित धारा- 13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ज्ञापांक- **2625**/अप0शा0 दिनांक- **13.09.2017** से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 12703 दिनांक- 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ ।

2. तत्पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया गया, परंतु श्री कुमार द्वारा दिनांक- 06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक- 07.11.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया । अत: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(3)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या- 340283 दिनांक- 30.11.2017 द्वारा निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक- 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गम्भीर कदाचार का आरोप होने एवं निगरानी थाना काण्ड सं0-70/2017 दिनांक- 04.09.2017 दर्ज होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0- 340284 दिनांक- 30.11.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम- 9(1)(ग) के तहत योगदान की तिथि दिनांक- 07.01.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर समाहरणालय, विकास शाखा निर्धारित किया गया।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उनके बच्चे के ईलाज करवाने संबंधी कारणों से निलम्बन मुख्यालय परिवर्त्तन हेतु अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त निलम्बन मुख्यालय मुजफ्फरपुर समाहरणालय, विकास शाखा के स्थान पर समाहरणालय, पटना किया जाता है।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या- 340284 दिनांक- 30.11.2017 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 346249 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04-01-2018

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग; बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 346249 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04-01-2018

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 346249 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04-01-2018

चपरासी बही/निबंधित/ ईमेल/हाथोंहाथ

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली / जिला पदाधिकारी, पटना / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर / उप विकास आयुक्त, वैशाली / उप विकास आयुक्त, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा) / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना / श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली स्थायी पता:- ग्राम- सचई, पोस्ट एवं थाना- कुर्था, जिला- अरवल, पिन- 804421 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।